## कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांकः- 809 दिनांकः- 19.8.16

सेवा में.

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलाम्, मेदिनीनगर।

वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर।

मेदिनीनगर वन प्रमंडल अन्तर्गत अमानत बराज से कैनाल निर्माण हेतु विषय :--127.85 हे0 वन भूमि अपयोजन के संबंध में।

प्रसंग :-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/JH/IRRIG/15780/2015/583 दिनांक 30.06.16 2. झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, राँची का ज्ञापांक 3468 दिनांक 19.07.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों की छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची द्वारा पृच्छित वांछित निराकरण प्रतिवेदन अविलम्ब उचित माध्यम द्वारा ऑनलाईन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अन्0:-यथोक्त।

प्रधान मुख्य वने संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक बंज़र भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

D:\SUNIL\Proposal (A)\Amanat Project\Kainal Nirman (127.85 ha.), 17.08.16

पत्र संख्या-वन भूमि -07/2016 346%

व०प०

झारखण्ड सरकार वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार, सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची।

विषयः-

राँची , दिनांक- 19/07/16 - मेदिनीनगर वन प्रमंडल अन्तर्गत अमानत बराज से कैनाल निर्माण हेतु 127. 85 हे0 वन भूमि अपयोजन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक उप वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक—FP/JH/IRRIG/15780/2015/583 दिनांक—30.06.16, जिसकी प्रति आपको भी दी गई है, की छायाप्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

अनुरोध है कि भारत सरकार द्वारा की गई पृच्छा का निराकरण प्रतिवेदन अविलम्ब विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु0-यथोक्त।

ol

and

विश्वासभाजन

पिडी) (सुनील कुमार) सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– वन भूमि –07/2016 <u>3468</u> व0प0 दिनांक– 19/07/16 प्रतिलिपिः– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, ज्ञारखण्ड, राँची/कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, औरंगा कंस्ट्रवशन डिवीजन, पांकी, कैम्प–मेदिनीनगर, पलामू–822101 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। **अनु0–यथोक्त।** 

सरकार के उप संविव

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS & CLIMATE CHANGE REGIONAL OFFICE (RANCHI) BUNGALOW NO.A-2, SHYAMLI COLONY, RANCHI - 834002 TEL: 0651-2410007, 2410002, E-mail: <u>ro.ranchi-mef@gov.in</u>



. FP/JH/IRRIG/15780/2015 / 583

Dated 30<sup>th</sup> June, 2016

The Principal Secretary, Department of Forests and Environment, Government of Jharkhand, Nepal House, Ranchi.

Diversion of 127.85 ha of Forest land for construction of canal under Amanat Barrage Scheme in Palamu district of Jharkhand.

1 am directed to refer to your letter No.Van Bhumi-7/2016-1606/Va.Pa. dated 21.3.2016 on the above mentioned subject and to inform that the proposal has been serutinized and it is observed that following information is still required in the proposal –

- Catchment Area Treatment Plan since it is an Irrigation project.
- Cost Benefit Analysis in Ministry's prescribed format.
- Part-I and Part-II as prescribed by the Ministry and duly signed by the competent authority.
- Copy of the Environmental Clearance under the Environment (Protection) Act, 1980.
- Summary of girth-wise and species-wise tree details.
- Details of the forest area calculation proposed for diversion.

It is requested that the above requisite information may be kindly provided to this office for further processing of the proposal.

Yours faithfully,

(Vasanta Kiran Babu) Dy Conservator Forests (central)

Copy to:

Sir.

Martin .

- 1. The Principal Chief Conservator of Forests, Department of Forests and Environment, Government of Jharkhand, Van Bhavan, Doranda, Ranchi.
- 2. The PCCF-cum-Nodal Officer, Forest Department, Govt. of Jharkhand, Van Bhavan, Doranda, Ranchi.